कार्यालय वनमंडल अधिकारी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)
E_Mail :- khairagarhdfo@yahoo.com, Phone & Fax - (07820) 234278

क्रमांक/तक.अधि./न.क्र.2–20/विविध/2033 खैरागढ़, दिनांक 05/06/2023

प्रति,

उप महाप्रबंधक (परियोजना)
गेल ईण्डिया लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of 15.690 ha. of Forest land/Orange Forest land and Revenue Forest land under Forest Conservation Act 1980, in favour of Executive Deputy Genral Manager (Project) , GAIL (India) Limited for non-forestry work "laying of the Gas Pipeline and O.F.C., 18-inch diameter natural gas under Khairagarh, Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa and Raigarh Forest Division of Raigarh District in the State of Chhattisgarh"-reg.**
पंजीयन क्रमांक– FP/CG/Other/154619/2022

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी प्रथम चरण की स्वीकृति का पत्र क्र./**FC-II/IROCH-20/2023/1414** दि. 24.05.2023

–000–

अवगत हो कि विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिसका पालन प्रतिवेदन आपसे प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को अंतिम चरण की स्वीकृति के लिये प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। अधिरोपित शर्तों के अंतर्गत निम्न शर्तों के पालन हेतु मांगपत्र दिया जा रहा है जो निम्नानुसार :–

बिन्दु क्रमांक	विषय	जानकारी
iv	The cost of compensatory afforestation al the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision fof anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने के संबंध में वर्ष 2023–24 के लिये निर्धारित दर 966666/– रू. प्रति हे. के मान से 18.000 हे. के लिये राशि 17399988/– रू. कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान जनरेट कर जमा कराते हुए मूल चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न करे।
v	**NPV:** a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.690 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006, letter No. 53/2007-FC dated 05/02/2009, letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 and letter No. 5-3/2011-FC(V01-1) dated 22.03.2022 in this regard; b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalizalion of the same by the Hon'ble Suprême Court of India *on* receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Govemment from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	**a)** प्रकरण में व्यपवर्तित की जाने वाली 15.690 हे. में से वन/नारंगी वनभूमि का रकबा 11.651 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि 1228590/– रू. प्रति हे. के मान से राशि 14314302/– रू. तथा राजस्व वनभूमि का रकबा 4.039 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि 957780/– प्रति हे. के मान से राशि 4008211/– रू. कुल राशि 18322513/– रू. कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान के माध्यम से जमा कर चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति देवे। **b)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के बाद यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के दर में परिवर्तन किया जाता है तो अंतर की मांग की गई राशि को आपके द्वारा निर्धारित बैंक खाते में जमा कराया जावेगा, से संबंधित वचन पत्र देवे।

vi	The User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department; maximum numbers of trees in 10 meters RoW will be kept intact. A detailed report in this regard shall be submitted to IRO, Raipur, MoEF&CC along with Stage- I compliance report;	(1) प्रकरण में खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 1271 एवं राजस्व वनभूमि के 21 कुल 1292 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन में राशि 423073/– रूपये व्यय होना आकलित है। वृक्ष विदोहन की उक्त राशि का डी.डी. वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के नाम पर (Payable at Khairagarh) तैयार कर जमा करे। (2) प्रकरण में जॉजगीर–चांपा वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 237 वृक्ष एवं 01 नग बांसभिर्रा प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन में राशि 625795/– रूपये व्यय होना आकलित है। वृक्ष विदोहन की उक्त राशि का डी.डी. वनमंडल अधिकारी जॉजगीर–चांपा के नाम पर (Payable at Janjgir-Champa) तैयार कर संबंधित वनमंडल में जमा कर पावती देवे। (3) प्रकरण में रायगढ़ वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 371 नग वृक्ष प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन में राशि 81608/– रूपये व्यय होना आकलित है। वृक्ष विदोहन की उक्त राशि का डी.डी. वनमंडल अधिकारी रायगढ़ के नाम पर (Payable at Raigarh) तैयार कर संबंधित वनमंडल में जमा कर पावती देवे।
viii	To improve the Forest/ Tree cover and to reduce pollution in the State, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency with involvement of Joint Forest Management Committees (JFMC's) and in consultation with local DFOs shall raise at least 1000 tall seedlings for each of the 183 villages, of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local species. At least 50% of seedlings shall be planted in the vicinity of project area and remaining 50% of seedlings shall be distributed among villagers as per choice of villagers. The concerned JFMC's shall maintain record of plantation/ seedling distribution to villagers;	इस शर्त के अनुसार 181 ग्रामों की भूमि प्रभावित हो रही है। प्रत्येक ग्राम में बांस, फलदार, औषधीय एवं अन्य वानिकी प्रजातियों के कम से कम 1000 पौधों का रोपण का कार्य आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाना है। जिसमें से 50% पौधे परियोजना क्षेत्र के आसपास लगाये जावेगे तथा शेष 50% पौधे ग्रामीणों की पसंद के अनुसार ग्रामीणों के बीच वितरित किये जाएंगे। 181 ग्रामों में कुल 1000 नग पौधों के मान से 181000 नग पौधे तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ.ग. रायपुर के आदेश क्रमांक/वि.यो./बजट/08 दिनांक 10.04.2023 द्वारा पौधा तैयारी हेतु प्रति पौधा 23/– रू. निर्धारित किया गया है। इस मान से 181000 नग पौधे तैयार करने हेतु 4163000/– रूपये व्यय होगा। अतः इस बाबत वनमंडलवार निम्नानुसार डी.डी. तैयार कर संबंधित वनमंडल में जमा करते हुए पावती देवे :– 1. खैरागढ़ वनमंडल – 44 ग्राम पौधा संख्या 44000 राशि 1012000/– रूपये 2. जॉजगीर–चांपा वनमंडल – 52 ग्राम पौधा संख्या 52000 राशि 1196000/– रूपये 3. कोरबा वनमंडल – 07 ग्राम पौधा संख्या 7000 राशि 161000/– रूपये 4. रायगढ़ वनमंडल – 48 ग्राम पौधा संख्या 48000 राशि 1104000/– रूपये 5. बिलासपुर वनमंडल – 30 ग्राम पौधा संख्या 30000 राशि 690000/– रूपये

ix	The user agency in consultation with State Forest Department shall prepare a scheme for the plantation of dwarf species trees/ medicinal plants that may be grown in the ROW as per the norms Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG), Govt. of India, which is not hampering the Safety and maintenance of the pipeline. The same shall be submitted to Integrated Regional Office along with Stage- I compliance report;	इस शर्त के अनुसार व्यपवर्तित की जाने वाली 15.690 हे. भूमि की चौड़ाई 10 मीटर अर्थात ROW की सीमा के अंदर बौने प्रजातियों के पेड़ो/औषधीय पौधों का रोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रति हे. निर्धारित दर राशि 966666/– प्रति हे. के मान से राशि 15166990/– रूपये कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान जनरेट कर जमा कराते हुए मूल चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न करे।

अतः प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति के पालनार्थ उपरोक्त शर्तों का पालन करने के साथ–साथ अन्य अधिरोपित शर्तों का पृथक–पृथक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त रायपुर वनमंडल में उनके मांग के अनुरूप क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित शासकीय राजस्व भूमि के सर्वेक्षण, सीमांकन और स्थाई स्तंभो के निर्माण हेतु डी.डी. तैयार कर जमा करे।

वनमंडल अधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

क्रमांक/तक.अधि./न.क्र. 2–20/विविध/2034 **खैरागढ़, दिनांक 05/06/2023**

प्रतिलिपि :–

(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर द्वितीय संदर्भित पत्र के पालनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(2) मुख्य वन संरक्षक दुर्ग/रायपुर एवं बिलासपुर वृत्त, की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(3) वनमंडल अधिकारी रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित कर लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा जारी प्रथम चरण के अधिरोपित शर्त कंडिका (iv) के पालन में आपके वनमंडल में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि के सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्थाई स्तंभों के निर्माण कार्य में व्यय होने वाली राशि के संबंध में आवेदक संस्थान के लिये आवश्यक डिमांड नोट जारी कर ड्राफ्ट प्राप्त करते हुए नियमानुसार लेखा शीर्ष में जमा कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करे तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त उक्त शासकीय राजस्व भूमि को वन विभाग के नाम पर नामांतरित एवं हस्तांतरित कराते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत आरक्षित वन घोषित करने संबंधी अधिसूचना प्रकाशन की कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावे।

(4) वनमंडल अधिकारी जॉजगीर–चांपा/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़ वनमंडल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनमंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़